7

राजस्व लोक अदालत कैम्प/कोर्ट 2018

तारीख	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू कैम्प कोर्ट मुकाम ग्राम पंचायत बीबासर प्रकरण सं. 109/2016 **उनवान** बिमला बनाम ताराचन्द वगैरह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 धारा 151 सी.पी.सी.	राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार" अभियान–2018
18.06.2018	यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत बीबासर में पेश होने पर पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दिनांक 09.06.2016 से विचाराधीन है जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना–पत्र का निस्तारण अधिकतम 6 माह की अवधि मे किया जाना होता है। प्रार्थी को मौखिक तौर पर सुना गया। न्यायालय विवेक पर दोनो पक्षों को पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ताः फैसला पाबंद किया जाता है कि व प्रार्थना–पत्र मे विवादित भूमि बाबत मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	

Scanned by CamScanner